



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 6532/33/2018/चयन

इन्दौर दिनांक 27 AUG 2019

सहायक प्राध्यापक परीक्षा – 2017

पुनरीक्षित चयन – सूची (मान. उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में)

पदनाम – सहायक प्राध्यापक, सांख्यिकी

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 07/2017/दिनांक 12.12.2017 एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के सन्दर्भ में आयोजित सहायक प्राध्यापक ऑनलाईन परीक्षा – 2017 के तहत उच्च शिक्षा विभाग एवं डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु के अंतर्गत पदनाम – सहायक प्राध्यापक, सांख्यिकी के निम्नांकित तालिका में उल्लेखित रिक्त पदों की पूर्ति के लिए ऑनलाईन परीक्षा दिनांक 30 जून, 2018 को आयोजित किये जाने के परिणामस्वरूप लिखित परीक्षा के प्राप्तांक + अतिथि विद्वान को देय वरीयता अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर क्रमांक 7401/33/2018/चयन इन्दौर, दिनांक 25 जुलाई, 2018 के माध्यम से चयन सूची घोषित की गई है।

2/ मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 20649/2018 में पारित निर्णय दिनांक 17.06.2019 एवं याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 20622/2018 में पारित निर्णय दिनांक 26.06.2019 के अनुपालन में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विषयवार/श्रेणीवार विज्ञापित पदों को पुनरीक्षित किया गया है।

3/ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पदों का पुनरीक्षण किये जाने के उपरांत पत्र क्रमांक एफ-1-118 / 2018/38-1, भोपाल दिनांक 14.08.2019 के माध्यम से आयोग को विषयवार/श्रेणीवार, पुनरीक्षित पदों के विवरण पत्रक प्रेषित कर पुनरीक्षित चयन सूचियां शीघ्र जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4/ मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 20622/2018 में पारित निर्णय दिनांक 26.06.2019 तथा अन्य समान प्रकरणों में पारित निर्णयों के अनुपालन में म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण नियमों का पालन करते हुए, आयोग द्वारा महिला आरक्षण का परीक्षण भी कर लिया गया है।

5/ आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2017 के विज्ञापन में शुद्धिपत्र के माध्यम से डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु के विभिन्न विषयों के पदों को भी उक्त परीक्षान्तर्गत संयोजित किया गया था जिसके अंतर्गत ऐसे पदों के चयन के लिए आवेदकों से आनलाईन आवेदन पत्र में ही अग्रमान्यता प्राप्त की गई थी। उच्च शिक्षा विभाग के पत्र एफ-1-118/2018/38-1, भोपाल दिनांक 14.08.2019 के माध्यम से आयोग को सूचित किया गया है कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु के द्वारा उनके लिए विज्ञापित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित रखे जाने के अनुरोध के कारण विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय के लिए विज्ञापित पदों को भी विषयवार एवं श्रेणीवार उच्च शिक्षा विभाग के लिए विज्ञापित पदों में समाहित किया जावे। अतः इन पदों पर जिन आवेदकों द्वारा अग्रमान्यता दी गई है उन्हें भी पुनरीक्षित जारी किये गये चयन प्रक्रिया में उच्च शिक्षा विभाग के पदों के लिए मान्य किया गया है।

6/ उच्च शिक्षा विभाग से दिनांक 14.08.2019 को पुनरीक्षित पदों का विवरण पत्रक प्राप्त होने के परिणामस्वरूप आयोग द्वारा शुद्धिपत्र क्रमांक 16/07/2017 दिनांक 19.08.2019 के माध्यम से पुनरीक्षित पदों का विवरण जारी किया गया है जिसके अनुसार ही पुनरीक्षित चयन सूची जारी किये जाने की कार्यवाही की गई है।

(Signatures)

7/ उच्च शिक्षा विभाग से दिनांक 14.08.2019 को प्राप्त पुनरीक्षित/अद्यतन पदों के विवरण के अनुसार पुनरीक्षित चयन सूची जारी किये जाने के अनुरोध के परिणामस्वरूप पूर्व में उक्त घोषित चयन सूची को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उसके स्थान पर निम्नानुसार पुनरीक्षित चयन सूची घोषित की जाती है :-

सहायक प्राध्यापक, सांख्यिकी (उच्च शिक्षा विभाग के लिए)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग
कुल पदों की संख्या	0	1	3	2	6
इनमें से महिलाओं के लिये आरक्षित पद	0	0	1	1	

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	1009626	DR UANNATI BHAYARE	F	OBCF	OBC
2	1011628	NARENDRA SINGH THAKUR	M	OBC	OBC
3	1011278	ARPITA LAKHRE	F	SC	SC

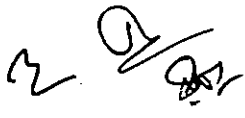
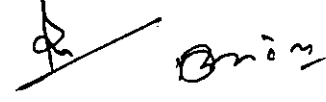
अनुपूरक सूची

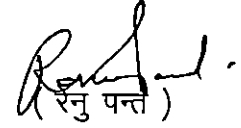
स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1	1006946	RAJESH KUMAR PARMAR	M	OBC
2	1008391	JUGAL KISHORE RATHORE	M	OBC

टीप :-

- म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिये निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किये गये हैं जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किये हो। किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किये बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया गया है।
- महिलाओं/निःशक्तजनों के आरक्षित पदों पर चयन की प्रक्रिया म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार संपादित की गई है। महिलाओं के आरक्षित पदों पर म0प्र0 की मूल निवासी महिलाएं उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में म0प्र0 शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र अनुसार "ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिए अग्रेषित (carry forward) नहीं किए जायेंगे, और ऐसे रिक्त पदों को दूसरे आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग की महिला से भी नहीं भरा जायेगा, ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए वह आरक्षित है" संबंधी प्रावधान निहित किए गये हैं।
- चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित जानकारी को शत-प्रतिशत सही मानते हुए एवं उसके आधार पर ही, लिखित परीक्षा में अर्जित अंकों + अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंकों के योग की मेरिट आधार पर चयन परिणाम तैयार किया गया है। जारी किया गया चयन परिणाम निम्नांकित कड़िका के अध्यधीन समस्त शर्तों को पूर्ण करने पर ही मान्य रहेगा, आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्टि करने की स्थिति में स्वतः ही आवेदक की चयन की अधिकारिता विभाग द्वारा समाप्त की जा सकेगी -

- (1) चयन सूची की अनुशंसा विभाग को इस शर्त के साथ अग्रेषित की जावेगी कि विभाग चयन सूची में चयनित मुख्य सूची/अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों को अपने स्तर पर विज्ञापन में वर्णित शैक्षणिक अर्हता/पात्रता की समस्त शर्तें एवं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई प्रविष्टियां शत-प्रतिशत सही हैं अथवा नहीं, आवेदक के मूल अभिलेखों से सूक्ष्मता से मिलान/सत्यापन कार्य पूर्ण कराकर समुचित पुष्टि उपरांत ही नियुक्ति की कार्यवाही संपादित करना सुनिश्चित करेंगे।
- (2) आयोग द्वारा की जा रही सहायक प्राध्यापक की चयन प्रक्रिया में शासन निर्देशानुसार साक्षात्कार को विलोपित किया गया है। अतः चयनित किये समस्त आवेदकों के नियुक्ति पत्र जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा अपने स्तर से समस्त आवेदकों की अर्हताएं विज्ञापन में विज्ञापित वर्णित व्यवस्था अनुसार जाँच की जावेगी, जाँच उपरांत ही विभाग द्वारा आवेदकों की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सम्पादित कर सकेंगे। चयनित आवेदकों में से यदि किसी आवेदक की अर्हताएं विज्ञापन अनुसार पूर्ण नहीं होती हैं, तो विभाग अपने स्तर पर नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही सम्पादित कर आयोग को भी अवगत करायेगें।
- (3) अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंको को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित समिति के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर परीक्षण उपरांत ही अंकों को आयोग को प्रदाय किया गया है। समिति द्वारा प्रदाय वरीयता अंकों को ही आयोग द्वारा मान्य कर रिजल्ट तैयार किया गया है।
- 5 कुल विज्ञापित 06 पदों में से अ.ज.जा. वर्ग हेतु विज्ञापित 03 पद (02 अ.ज.जा. एवं 01 अ.ज.जा. महिला वर्ग हेतु) आवेदक उपलब्ध नहीं होने के कारण यह पद रिक्त रखे गये हैं।


(सु पन्त)

सचिव

म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर